

फा.सं.1/110(15)/2020-भ-II/एसपीसी-II
फा.सं.1/136(25)/2020-भ-II/एसपीसी-II
फा.सं.1/107(14)/2020-भ-II/एसपीसी-II
फा.सं.1/135(24)/2020-भ-II/एसपीसी-II
फा.सं.1/111(16)/2020-भ-II/एसपीसी-II

संघ लोक सेवा आयोग

विशेष प्रकोष्ठ-II अनुभाग

विषय : निम्नलिखित पदों के लिए पेन एवं पेपर आधारित संयुक्त भर्ती परीक्षण (ओएमआर आधारित भर्ती परीक्षण) :

(i) 16/2020, मद संख्या 03, रिक्ति सं. 20121603212, प्रकाशन की तारीख 12.12.2020, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय जांच एजेन्सी (एनआईए), गृह मंत्रालय में लोक अभियोजक के 10 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31.12.2020 को 23.59 बजे तक थी।

(ii) 04/2021, मद सं. 04, रिक्ति सं. 21020404227, प्रकाशन की तारीख 27.02.2021, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेशन मंत्रालय में लोक अभियोजक के 43 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 18.03.2021 को 23.59 बजे तक थी।

(iii) 02/2021, मद सं. 11, रिक्ति सं. 21010211223, प्रकाशन की तारीख 23.01.2021, जिसके अंतर्गत अभियोजन निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सहायक लोक अभियोजक के 80 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 11.02.2021 को 23.59 बजे तक थी।

(iv) 04/2021, मद सं. 05, रिक्ति सं. 21020405227, प्रकाशन की तारीख 27.02.2021, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेशन मंत्रालय में सहायक लोक अभियोजक के 26 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 18.03.2021 को 23.59 बजे तक थी।

(v) 16/2020, मद सं. 01, रिक्ति सं. 20121601212, प्रकाशन की तारीख 12.12.2020, जिसके अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय में सहायक विधि सलाहकार के 02 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31.12.2020 को 23.59 बजे तक थी।

समय-सारणी एवं उम्मीदवारों के लिए अनुदेश

कृपया निम्नलिखित अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। किसी भी अनुदेश के उल्लंघन के कारण उम्मीदवार के विरुद्ध आयोग के विवेकानुसार कार्रवाई की जा सकती है। **{उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अनुदेशों की यह प्रति संदर्भ के लिए परीक्षण (भर्ती परीक्षण) हॉल में साथ लाएं}।**

समय-सारणी

<u>तारीख तथा दिन</u>	<u>भारतीय मानक समय</u>	<u>विषय और विषय का कोड</u>
<u>19 सितंबर, 2021</u> <u>(रविवार)(पूर्वाह्न)</u>	<u>पूर्वाह्न 09.30 बजे से पूर्वाह्न</u> <u>11.30 बजे</u>	कानून (01)

टिप्पणी:

परीक्षा केन्द्र पर उम्मीदवारों के रिपोर्ट करने का समय परीक्षण प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 1 घंटा पहले है।

परीक्षण-स्थल पर प्रवेश, भर्ती परीक्षण के प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 10 मिनट पहले, अर्थात् पूर्वाह्न 09.20 बजे बंद कर दिया जाएगा।

उम्मीदवार परीक्षा भवन में प्रवेश के लिए अपने ई प्रवेश पत्र की मुद्रित प्रति (प्रिंटआउट) अवश्य साथ लाएं।

परीक्षण का पाठ्यक्रम :

I. परीक्षण की योजना :

(क) परीक्षण दो घण्टे की अवधि का होगा।

(ख) सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे।

(ग) परीक्षण में बहुविकल्पीय प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे।

(घ) परीक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी होगा।

(ङ) परीक्षण के अधिकतम अंक 300 होंगे।

(च) गलत उत्तरों के लिए दंड का प्रावधान होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न के कुल अंकों में से एक तिहाई अंक काट लिए जाएंगे। यदि प्रश्न के लिए कोई उत्तर नहीं चुना जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

II. परीक्षण का पाठ्यक्रम :

- (1) संवैधानिक कानून
- (2) भारतीय दण्ड संहिता तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता सहित आपराधिक विधि
- (3) भारतीय साक्ष्य अधिनियम
- (4) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम
- (5) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम
- (6) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट)
- (7) केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम (सीवीसी अधिनियम)
- (8) धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए अधिनियम 2002)

परीक्षण का वेटेज :

संयुक्त भर्ती परीक्षण के आधार पर लघु सूचीबद्ध किए गए तथा साक्षात्कार में सफल उम्मीदवारों के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षण और साक्षात्कार का वेटेज 75:25 होगा।

महत्वपूर्ण टिप्पणियां :

(क) उम्मीदवार उसी परीक्षण स्थल पर परीक्षण दें, जिसका उल्लेख उनके ई-प्रवेश पत्र में किया गया है। यदि उम्मीदवार किसी और परीक्षण स्थल पर परीक्षण देता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

(ख) लघु सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों को उक्त पदों के संदर्भ में अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज जमा करने को कहा जाएगा। इन दस्तावेजों की जांच की जाएगी और उक्त पदों हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

(ग) उम्मीदवारों को निदेश दिया जाता है कि वे अपनी जिम्मेदारी पर परीक्षण दें, अर्थात् वे इस बात की संपुष्टि कर लें कि वे विज्ञापन में निर्धारित अर्हताओं को पूरा कर रहे हैं और परीक्षण में उनका प्रवेश पूर्णतया "अनंतिम" है।

उम्मीदवारों को अनुदेश

ई-प्रवेश पत्र :

1. ई-प्रवेश पत्र को डाउनलोड करने के तत्काल बाद उम्मीदवार इसकी ध्यानपूर्वक जांच करें और विसंगतियां, यदि कोई हों, पाए जाने पर उन्हें अविलंब संघ लोक सेवा आयोग के ध्यान में लाएं। परीक्षण के विषय पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। विसंगतियों के मामले में प्रयास किए जाएंगे कि संशोधित ई-प्रवेश पत्र यथाशीघ्र अपलोड कर दिए जाएं। उम्मीदवार ई-प्रवेश पत्र पर उल्लिखित महत्वपूर्ण अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। परीक्षा हॉल में प्रवेश करने के लिए उम्मीदवार अपने ई-प्रवेश पत्र की मुद्रित प्रति (प्रिंटआउट) साथ लेकर आएँ। जिन उम्मीदवारों के ई-प्रवेश-पत्र पर फोटो स्पष्ट नहीं है वे भर्ती परीक्षण में प्रवेश के लिए परिवचन सहित अपने साथ पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ और अपना फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र आदि साथ लाएं।

1.1 ई-प्रवेश-पत्र की सुरक्षा की जिम्मेवारी उम्मीदवार की है। यदि कोई अन्य व्यक्ति परीक्षा हॉल में प्रवेश करने के लिए इस ई-प्रवेश-पत्र का इस्तेमाल करता है तब यह प्रमाणित करने का दायित्व उम्मीदवार का होगा कि उसने किसी प्रतिरूपधारक की सेवा नहीं ली है और उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी एवं उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

1.2 उम्मीदवार ई-प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट परीक्षा हॉल में अवश्य लाएं। परीक्षा भवन में प्रवेश करने के बाद उम्मीदवार दिए गए अनुदेशों के अनुसार उपस्थिति सूची भरें और उसमें हस्ताक्षर करें। यह सूची उन्हें निरीक्षक द्वारा प्रदान की जाएगी। हस्ताक्षर करने के बाद उम्मीदवार उपस्थिति सूची, निरीक्षक को सौंप दें।

भर्ती परीक्षण का आयोजन :

2. उम्मीदवारों के बैठने की व्यवस्था का विवरण भर्ती परीक्षण के दिन परीक्षण स्थल पर प्रदर्शित किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा हॉल/कक्ष तक जाने से पहले इस बात की जांच कर लें कि उनके बैठने का स्थान कहां निर्धारित किया गया है।

2.1 उम्मीदवारों को उन्हें प्रदान की गई ओएमआर शीट की क्रम संख्या और परीक्षण पुस्तिका की क्रम संख्या और श्रृंखला का अंकन, निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई उपस्थिति सूची में करना होगा।

2.2 उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे फ्रिस्किंग हेतु, परीक्षा स्थल पर पर्याप्त समय रहते पहुंचें। उम्मीदवारों को परीक्षण प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 60 मिनट/1 घंटा पहले परीक्षा भवन में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके बाद उम्मीदवार अपने अनुक्रमांक के अनुसार निर्धारित सीट पर तत्काल बैठ जाएंगे।

2.3 उम्मीदवार परीक्षण पुस्तिका में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों का उत्तर अंकित करेंगे।

2.4 ओएमआर शीट की आपूर्ति, परीक्षा हॉल में निरीक्षक द्वारा की जाएगी। उम्मीदवारों को कच्चे काम के लिए अलग से कोई शीट प्रदान नहीं की जाएगी क्योंकि कच्चे कार्य के लिए खाली शीटें, परीक्षण पुस्तिका के अंत में संलग्न की गई हैं।

2.5 उम्मीदवार काले बॉल पॉइंट पेन से, उपयुक्त गोले को काला करके, स्वयं उत्तरों का अंकन करेंगे। किसी भी परिस्थिति में उम्मीदवार को उत्तरों का अंकन करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की मदद लेने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

2.6 उम्मीदवार न तो किसी अन्य उम्मीदवार के पेपर से नकल करेंगे, न ही अपने पेपर से नकल करने की अनुमति देंगे। किसी भी प्रकार की अनुचित सहायता प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। ओएमआर शीट पर किसी और प्रकार का निशान नहीं लगाया जाना चाहिए।

2.7 कोई भी उम्मीदवार झूठी पर तैनात **निरीक्षक/पर्यवेक्षक** की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रयोजन से परीक्षा भवन के बाहर नहीं जाएगा।

2.8 शौचालय जाते समय उम्मीदवार अपनी ओएमआर शीट को पलट कर रखेगा।

2.9 आबंटित समय के पूरा होने से पहले किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2.10 किसी भी उम्मीदवार को परीक्षण के अंतिम 30 मिनट के दौरान शौचालय जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

2.11 परीक्षण प्रारंभ होने के समय तथा इसकी आधी अवधि पूरी होने पर और फिर समय समाप्ति से पांच मिनट पहले सिग्नल दिया जाएगा। परीक्षा का आबंटित समय समाप्त होने के समय अंतिम सिग्नल भी दिया जाएगा। पेपर के लिए आबंटित समय समाप्त होने के बाद कोई भी उम्मीदवार अपने उत्तर का अंकन अथवा उसमें संशोधन नहीं करेगा।

2.12 भर्ती परीक्षण संपन्न होने के बाद उम्मीदवार तब तक अपनी सीट पर बने रहेंगे जब तक कि उनकी उत्तर पुस्तिका निरीक्षक द्वारा ले नहीं ली जाती और उन्हें बाहर जाने की अनुमति प्रदान नहीं कर दी जाती। आबंटित समय के पूरा होने के बाद उम्मीदवार आपस में बातचीत नहीं करेंगे।

2.13 परीक्षा हॉल/कक्ष से बाहर निकलने के बाद उम्मीदवार परीक्षा भवन/कक्ष के ठीक बाहर भीड़ नहीं करेंगे या घूमेंगे-फिरेंगे नहीं।

2.14 उम्मीदवार, परीक्षा हॉल/ कक्ष में पूरे समय शांति बनाए रहेंगे।

2.15 उम्मीदवार परीक्षण पुस्तिका तथा ओएमआर शीट में दिए गए अनुदेशों के साथ-साथ ऐसे सभी अनुदेशों का अनुपालन करेंगे, जो पर्यवेक्षक/निरीक्षक द्वारा परीक्षण के दौरान दिए जा सकते हैं। यदि उम्मीदवार ऐसा करने में विफल रहता है अथवा अव्यवस्था फैलाता है या अनुचित आचरण करता है,

तो उसे परीक्षण से निष्कासित किया जा सकता है तथा/अथवा आयोग के विवेकानुसार उसके विरुद्ध कोई अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है।

2.16 उम्मीदवार, परीक्षा भवन में निरीक्षक/ सहायक पर्यवेक्षक/ पर्यवेक्षक अथवा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं सटीकता से प्रदान करेंगे।

ओएमआर/परीक्षण पुस्तिकाओं को हैंडल करने के संबंध में अनुदेश:

3.1 ओएमआर शीट पर निर्धारित स्थान पर काले बॉल पॉइंट पेन से केंद्र, विषय, विषय के कोड, परीक्षण पुस्तिका की श्रृंखला तथा अपने अनुक्रमांक का स्पष्ट रूप से अंकन करें। ओएमआर शीट में इस प्रयोजनार्थ प्रदान किए गए गोलों में काले बॉल पॉइंट पेन से पुस्तिका की श्रृंखला, विषय कोड तथा अपने अनुक्रमांक का अंकन करें।

3.2 परीक्षण पुस्तिका की श्रृंखला का अंकन, परीक्षण पुस्तिका के दाएं कोने पर किया गया है। ओएमआर शीट के ऊपरी हिस्से में दिए बॉक्स पर इस बात का स्पष्ट रूप से अंकन (एनकोडिंग) करें कि आपकी परीक्षण पुस्तिका की श्रृंखला A,B,C या D है। **यदि आपकी परीक्षण पुस्तिका की श्रृंखला मुद्रित नहीं है, अथवा आपकी ओएमआर शीट पर संख्या का अंकन नहीं है तो कृपया इसकी जानकारी संबंधित निरीक्षक को तत्काल प्रदान करें और अपनी परीक्षण पुस्तिका/ ओएमआर शीट को बदलवाएं।**

3.3 प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा परीक्षण पुस्तिका की श्रृंखला की एनकोडिंग वही होनी चाहिए, जो निरीक्षक द्वारा ओएमआर शीट के बाएं कोने में निर्धारित स्थान पर की गई हो। यह एनकोडिंग परीक्षण पुस्तिका के कवर पेज पर मुद्रित श्रृंखला के संदर्भ में होनी चाहिए।

3.4 अनुक्रमांक लिखने में किसी प्रकार के संशोधन की स्थिति में उम्मीदवार के साथ-साथ निरीक्षक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और यह पर्यवेक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित भी होना चाहिए।

3.5 परीक्षा प्रारंभ होने के तत्काल बाद उम्मीदवारों को चाहिए कि वे उन्हें प्रदान की गई परीक्षण पुस्तिका के संबंध में यह जांच लें और सुनिश्चित कर लें कि उसमें कोई पृष्ठ अमुद्रित अथवा फटा हुआ अथवा कोई पृष्ठ अथवा अन्य सामग्री गायब नहीं है और यदि ऐसा हो तो इसे तो इसकी जानकारी निरीक्षक को तत्काल प्रदान करें और इसके स्थान पर उसी श्रृंखला की पूर्ण परीक्षण पुस्तिका प्राप्त करें।

3.6 उम्मीदवार मांगी गई सूचना के अतिरिक्त ओएमआर शीट/परीक्षण पुस्तिका पर अपना नाम या किसी प्रकार की और कोई बात नहीं लिखेगा।

3.7 उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेंगे कि हैंडलिंग के दौरान ओएमआर शीट न मुड़े, न फटे और न ही किसी अन्य प्रकार से खराब हो। ओएमआर शीट पर किसी प्रकार की बाहरी मार्किंग नहीं होनी चाहिए।

3.8 उम्मीदवार को ओएमआर शीट से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने पर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

3.9 उम्मीदवार यह नोट करें कि ओएमआर शीट में विवरण भरने/अंकित करने के मामले में, विशेषकर अनुक्रमांक तथा परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला कोड करने के संदर्भ में, किसी प्रकार की चूक/गलती की स्थिति में ओएमआर शीट को अस्वीकृत किया जा सकता है।

परीक्षा भवन में किस सामान की अनुमति है तथा किसकी नहीं है

4. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना काला बॉल प्वाइंट पेन साथ लाएं। उम्मीदवार, ओएमआर शीट पर उत्तरों का अंकन करने के लिए केवल काले बॉल प्वाइंट पेन का ही इस्तेमाल करें।

4.1 जिस परिसर में परीक्षा आयोजित की जा रही है वहां इलेक्ट्रॉनिक या अन्य किस्म के कैलकुलेटर, लॉग टेबल, स्लाइड रूल, सेल्युलर/मोबाइल फोन अथवा ऐसे किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी जिनका इस्तेमाल संचार उपकरण के रूप में किया जा सकता है। उपर्युक्त अनुदेशों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उम्मीदवार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है जिसमें भविष्य के परीक्षणों से प्रतिबंध शामिल है।

4.2 भर्ती परीक्षण समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों को, उन्हें दी गई परीक्षण पुस्तिका अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी।

4.3 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे कीमती/मूल्यवान सामान परीक्षा भवन में न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इस संबंध में हुए नुकसान के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा।

4.4 सभी उम्मीदवारों के लिए मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य है। मास्क/फेस कवर के बगैर आए उम्मीदवारों को परीक्षा-स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4.5 हालांकि, परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े प्राधिकारियों के कहने पर सत्यापन के प्रयोजनार्थ उम्मीदवारों को अपना फेस मास्क हटाना होगा।

4.6 उम्मीदवारों को पारदर्शी बोतलों में अपने हैंड सैनीटाइजर (आकार में छोटा) लाने की अनुमति होगी।

4.7 उम्मीदवारों को परीक्षा भवन/कक्ष के साथ-साथ परीक्षा-स्थल के परिसर में, 'सामाजिक दूरी' और 'निजी साफ-सफाई' के संबंध में कोविड-19 मानदंडों का पालन करना होगा।

सामान्य अनुदेश

5. उम्मीदवार यह नोट करें कि परीक्षण में उनका प्रवेश पूर्णतया “अनंतिम” है।

5.1 उम्मीदवार को मात्र ई-प्रवेश पत्र जारी करने का अर्थ यह नहीं है कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा मान ली गई है अथवा आवेदक द्वारा परीक्षण हेतु उसके आवेदन प्रपत्र में दर्ज की गयी प्रविष्टियां आयोग द्वारा सत्य और सही रूप में स्वीकार कर ली गई हैं।

5.2 उम्मीदवार यह नोट करें कि आयोग मूल दस्तावेज से केवल उन उम्मीदवारों की पात्रता संबंधी शर्तों अर्थात् आयु, शैक्षणिक योग्यता, समुदाय आदि का सत्यापन करता है जो भर्ती परीक्षण में अर्हक होते हैं। जब तक आयोग द्वारा उम्मीदवार की उम्मीदवारी की औपचारिक रूप से पुष्टि नहीं कर दी जाती है तब तक उसकी उम्मीदवारी “अनंतिम” बनी रहती है।

5.3 उम्मीदवार यह भी नोट करें कि ई-प्रवेश पत्र जारी करने के पश्चात किसी भी चरण अथवा परीक्षण के पहले या बाद में किसी अपात्रता का पता चलता है या विज्ञापन में दिए गए नियमों और अनुदेशों में निर्धारित शर्तों या मांगी गई अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेजों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनुपालन नहीं किया गया है तब उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी।

5.4 यात्रा संबंधी खर्च या अन्य प्रकार के व्यय का वहन उम्मीदवार स्वयं करेंगे।

5.5 आयोग किसी उम्मीदवार के ठहरने और खान-पान का इंतजाम नहीं करता है।

शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

6 इस स्तर पर उम्मीदवारों को, उनके द्वारा ऑनलाइन भर्ती आवेदन (ओआरए) प्रणाली के अंतर्गत, संबंधित पदों के लिए उपलब्ध कराए गए डाटा के आधार पर प्रवेश दिया जा रहा है। अतः, जिन उम्मीदवारों ने यह दावा किया है कि वे शारीरिक विकलांग (पीएच) श्रेणी के हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि वे संबंधित विज्ञापन में विषयगत पदों के लिए यथाउल्लिखित शारीरिक विकलांगता श्रेणियों में आते हैं। उम्मीदवार यह अवश्य नोट कर लें कि ई-प्रवेश पत्र जारी किए जाने के उपरांत किसी भी समय यदि यह पाया जाता है कि वे अर्हता की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

मोबाइल फोन तथा इस प्रकार के सभी आईटी गैजेट परीक्षण स्थल पर प्रतिबंधित हैं।

निम्नलिखित के संबंध में पेन और पेपर आधारित भर्ती परीक्षण (ओएमआर आधारित भर्ती परीक्षण)

हेतु ई-प्रवेश पत्र :

संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन सं :

(i) 16/2020, मद संख्या 03, रिक्ति सं. 20121603212, प्रकाशन की तारीख 12.12.2020, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय जांच एजेन्सी (एनआईए), गृह मंत्रालय में लोक अभियोजक के 10 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31.12.2020 को 23.59 बजे तक थी।

(ii) 04/2021, मद सं. 04, रिक्ति सं. 21020404227, प्रकाशन की तारीख 27.02.2021, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेशन मंत्रालय में लोक अभियोजक के 43 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 18.03.2021 को 23.59 बजे तक थी।

(iii) 02/2021, मद सं. 11, रिक्ति सं. 21010211223, प्रकाशन की तारीख 23.01.2021, जिसके अंतर्गत अभियोजन निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सहायक लोक अभियोजक के 80 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 11.02.2021 को 23.59 बजे तक थी।

(iv) 04/2021, मद सं. 05, रिक्ति सं. 21020405227, प्रकाशन की तारीख 27.02.2021, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेशन मंत्रालय में सहायक लोक अभियोजक के 26 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 18.03.2021 को 23.59 बजे तक थी।

(v) 16/2020, मद सं. 01, रिक्ति सं. 20121601212, प्रकाशन की तारीख 12.12.2020, जिसके अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय में सहायक विधि सलाहकार के 02 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31.12.2020 को 23.59 बजे तक थी।

नोटिस

संघ लोक सेवा आयोग उपर्युक्त पदों पर भर्ती के लिए दिनांक 19.09.2021 (रविवार) को पूर्वाह्न सत्र में पूर्वाह्न 09.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे तक देशभर के पन्द्रह केन्द्रों पर पेन और पेपर आधारित संयुक्त भर्ती परीक्षण (ओएमआर आधारित भर्ती परीक्षण) का आयोजन करेगा। उम्मीदवारों द्वारा परीक्षण केन्द्र पर रिपोर्ट करने का समय परीक्षण प्रारंभ होने से एक घंटा पहले है। आयोग ने प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों की सुविधा के लिए पेन और पेपर आधारित भर्ती परीक्षण(ओएमआर आधारित भर्ती परीक्षण) हेतु ई-प्रवेश-पत्र (अथवा अस्वीकृत किए गए आवेदन पत्रों

के संबंध में आवेदन पत्र को अस्वीकृत किए जाने के कारण/आधार) अपनी वेबसाइट (<http://www.upsc.gov.in>) पर अपलोड किए हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंटआउट निकाल लें। प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों को उन्हें आबंटित परीक्षण-स्थल पर भर्ती परीक्षण (ओएमआर आधारित भर्ती परीक्षण) में प्रवेश लेने के लिए अपने ई-प्रवेश-पत्र के प्रिंट आउट प्रस्तुत करना होगा। जिन उम्मीदवारों की फोटो ई-प्रवेश-पत्र पर स्पष्ट नहीं है, वे भर्ती परीक्षण में प्रवेश के लिए अपनी फोटो पहचान का कोई मूल प्रमाण, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र आदि एवं परिवचन सहित पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ अपने साथ लाएं। इस भर्ती परीक्षण के लिए आयोग द्वारा कोई कागजी प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ई-प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट निकाल लें। किसी प्रकार की विसंगति के मामले में, तत्काल आयोग को सूचित किया जाए, जिससे आयोग इस मामले में निर्णय ले सके। किसी प्रकार की कठिनाई आने पर, उम्मीदवार संघ लोक सेवा आयोग के सुविधा केन्द्र के टेलीफोन नं. 011-23381125, 23385271 तथा 23098543 पर सभी कार्यदिवसों में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।

संघ लोक सेवा आयोग
अनुशेष- उम्मीदवारों को नोटिस

संदर्भ संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या

(i) 16/2020, मद संख्या 03, रिक्ति सं. 20121603212, प्रकाशन की तारीख 12.12.2020, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय जांच एजेन्सी (एनआईए), गृह मंत्रालय में लोक अभियोजक के 10 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31.12.2020 को 23.59 बजे तक थी।

(ii) 04/2021, मद सं. 04, रिक्ति सं. 21020404227, प्रकाशन की तारीख 27.02.2021, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेशन मंत्रालय में लोक अभियोजक के 43 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 18.03.2021 को 23.59 बजे तक थी।

(iii) 02/2021, मद सं. 11, रिक्ति सं. 21010211223, प्रकाशन की तारीख 23.01.2021, जिसके अंतर्गत अभियोजन निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सहायक लोक अभियोजक के 80 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 11.02.2021 को 23.59 बजे तक थी तथा आयोग की वेबसाइट पर शुद्धिपत्र, दिनांक 04.08.2021 को अपलोड किया गया।

(iv) 04/2021, मद सं. 05, रिक्ति सं. 21020405227, प्रकाशन की तारीख 27.02.2021, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेशन मंत्रालय में सहायक लोक अभियोजक के 26 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 18.03.2021 को 23.59 बजे तक थी।

(iv) 16/2020, मद सं. 01, रिक्ति सं. 20121601212, प्रकाशन की तारीख 12.12.2020, जिसके अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय में सहायक विधि सलाहकार के 02 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31.12.2020 को 23.59 बजे तक थी।

आयोग ने उक्त पदों के संबंध में उम्मीदवारों को लघु सूचीबद्ध करने के लिए दिनांक 19.09.2021 (रविवार) (पूर्वाह्न सत्र पूर्वाह्न 09.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे तक) (परीक्षण केन्द्र पर उम्मीदवारों के रिपोर्ट करने का समय, परीक्षण आरंभ होने के नियत समय से 1 घंटा पूर्व है) को निम्नानुसार पेन एवं पेपर आधारित संयुक्त भर्ती परीक्षण (ओएमआर आधारित भर्ती परीक्षण) आयोजित करने का निर्णय लिया है। केवल, संयुक्त भर्ती परीक्षण में लघु सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों और उक्त पदों हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

परीक्षा केन्द्र	केन्द्र का कोड	I. परीक्षण की योजना
अहमदाबाद	01	(क) परीक्षण दो घण्टे की अवधि का होगा।
भोपाल	04	(ख) सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे।
चेन्नई	12	(ग) परीक्षण वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहु-विकल्प उत्तर वाला होगा।
		(घ) परीक्षण का माध्यम केवल अंग्रेजी होगा।
		(ङ) गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंकों का

दिल्ली	08	प्रावधान होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न के लिए दर्शाए गए अंकों में से एक तिहाई अंक काट लिए जाएंगे। यदि प्रश्न के लिए कोई उत्तर नहीं दिया गया हो तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।
दिसपुर (गुवाहाटी)	09	
जयपुर	11	
जम्मू	34	
कोच्चि	24	
कोलकाता	06	
लखनऊ	26	
मुम्बई	05	
नागपुर	13	
पोर्ट ब्लेयर	37	
रांची	41	(च) परीक्षा में अधिकतम अंक 300 होंगे
विशाखापत्तनम	51	<p>II. परीक्षण का पाठ्यक्रम :</p> <p>प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य विषय शामिल होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) संविधानिक कानून (2) भारतीय दण्ड संहिता तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता सहित आपराधिक विधि (3) भारतीय साक्ष्य अधिनियम (4) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (5) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम (6) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) (7) केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम (सीवीसी अधिनियम) (8) धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए अधिनियम 2002)

टिप्पणी-I : भर्ती परीक्षण संबंधी स्थल की सूचना उम्मीदवारों को यथासमय दे दी जाएगी।

नोट-II: पेन एवं पेपर आधारित भर्ती परीक्षण (ओएमआर आधारित भर्ती परीक्षण) में लघुसूचीबद्ध किए गए तथा साक्षात्कार में सफल उम्मीदवारों के लिए पेन एवं पेपर आधारित भर्ती परीक्षण (ओएमआर आधारित भर्ती परीक्षण) तथा साक्षात्कार का वेटेज 75:25 होगा।

विभिन्न श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों के साक्षात्कार हेतु उपयुक्तता मानक निम्नानुसार तय किए गए हैं:

सामान्य/ई डब्ल्यू एस/अपिव श्रेणी	:	50 तथा उससे अधिक
अ.जा./अ.ज.जा.	:	40 तथा उससे अधिक (शिथिल मानकों के आधार पर)

टिप्पणी - III: परीक्षण केन्द्र में परिवर्तन के संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।